रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220110
CG-DL-E-23062020-220110

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942
No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

सं. 28/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 398(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, जैसा कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है के किसी वित्तीय वर्ष के कुल आयात की उतनी मात्रा के लिए जिसका की नीचे कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है (एतश्मिन पश्चात जिसे टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा कहा गया है), जब इनका भारत में आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट प्रदान करती है, जिस हद तक यह उक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर (एतश्मिन पश्चात जिसे इन कोटा टैरिफ दर से संदर्भित किया गया है) से की गई गणना से अधिक बैठती है बशर्ते कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की उक्त सारणी के कॉलम (6) के तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्ते पूरी होती हो:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	टैरिफ रेट कोटा की मात्रा	इन-कोटा टैरिफ दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0402 10 या 0402 21 00	दूध और क्रीम, जो कि पाउडर, दाने (ग्रेन्यूल्य) या अन्य किसी ठोस रुप में हो, (क) जिसमें वसा की मात्रा भार के हिसाब से 1.5% से अधिक न हो; (ख) जिसमें वसा की मात्रा भार के हिसाब से 1.5% से अधिक हो – जिनमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ न हों।	10000 मैट्रिक टन	15 प्रतिशत	(i)
2.	1005 90	मक्का (अनाज) बीज की गुणवत्ता वालों से भिन्न	500000 मैट्रिक टन	15 प्रतिशत	(i) और (ii)
3.	1512 11	कच्चे सूरजमुखी के बीज या कुसुम तेल और उसके फ्रैक्शन	150000 मैट्रिक टन	50 प्रतिशत	(i)
4.	1514 19 या 1514 99	रिफाइन्ड तोरिया, कोल्झा या सरसो का तेल और उसके फ्रैक्शन	150000 मैट्रिक टन	45 प्रतिशत	(i)

[फा. सं. 354/24/2020-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
(i)	(क) आयातकर्ता को टीआरक्यू विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा, हेडबुक ऑफ प्रोसिज़र, 2015-20 के पैराग्राफ 2.62 के अनुसार, आबंटित किया जाता है। (ख) टीआरक्यू के प्राधिकार पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आईईसी कोड, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, उप शीर्षक या टैरिफ मद, जो भी लागू हो, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि का उल्लेख होगा। (ग) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया जाएगा और इसे आईसीईएस सिस्टम से भेजा जाएगा। (घ) ऐसे टीआरक्यू के एवज में आयात तभी अनुमत्त होगी जब आईसीईएस सिस्टम में टीआरक्यू की मात्रा इलैक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट किया जा सकेगा।
(ii)	जहां कि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के माननीय हाईकोर्ट ऑफ जूडीकेजर, हैदराबाद में WPMP संख्या 43494/2014 और W.P. संख्या 34771/2014 में अपने दिनांक 31.12.2014 के आदेश में केवल वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर और उस समय लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर, न कि टीआरक्यू सीमा शुल्क पर, मक्के का आयात किए जाने की अनुमति दी है। हालांकि ऐसा इस रिट याचिका में आने वाले आगामी आदेशों के अधीन रहेगा। तदनुसार मक्के पर टीआरक्यू उक्त रिट याचिका में आने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

No. 28/2020-CUSTOMS

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table in such quantity of total imports of such goods in a financial year, as specified in column (4) below (herein after referred to as the 'tariff rate quota (TRQ) quantity'), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table (herein after referred to as the In-quota tariff rate), subject to any of the conditions, specified in the Annexure to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (6) of the said Table; namely: -

TABLE

S.No.	Sub–heading or tariff item	Description of goods	Tariff rate quota Quantity	In-quota tariff rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0402 10 or 0402 21 00	Milk and cream in powder, granules or other solid forms, (a) of a fat content by weight not exceeding 1.5%; (b) of a fat content, by weight, exceeding 1.5% - not containing added sugar or other sweetening matter	10000 MT	15 per cent	(i)
2.	1005 90	Maize (corn), other than seed quality	500000 MT	15 per cent	(i) and (ii)
3.	1512 11	Crude sunflower seed or safflower oil and fractions thereof	150000 MT	50 per cent	(i)
4.	1514 19 or 1514 99	Refined rape, colza or mustard oil and fractions thereof	150000 MT	45 per cent	(i)

[F. No. 354/24/2020–TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
(i)	(a) The TRQ is allotted to the importer by the Directorate General of Foreign Trade, in accordance with paragraph 2.62 of the Handbook of Procedures, 2015-20. (b) The TRQ authorization shall contain name and address of the importer, IEC code, Customs notification No., sub-heading or tariff item as applicable, quantity and validity period of certificate. (c) The TRQ authorization shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to ICES system.

	(d) Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting the TRQ quantity electronically in the ICES system.
(ii)	Whereas the Hon'ble High Court of judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh *vide* order dated 31.12.2014 in WPMP No. 43494 of 2014 and W.P. No. 34771 of 2014, has permitted import of maize only on actual user condition and on payment of Customs duty prevailing, but not TRQ Customs duty, subject to further orders in the Writ Petition. Accordingly, TRQ on Maize shall be subject to order by Hon'ble High Court in the said Writ Petition.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.23 21:01:18 +05'30'